न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) नगर, मेरठ।
विविध वाद सं0 – 37/2023
मदन मोहन आदि बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
CNR NO-UPME060002472023

दिनांक – 04.04.2022

पुकार कराई गई। पुकार पर पर प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 3 ग के निस्तारण हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 3 ग –

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 3 ग अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व सपठित धारा 151, 152 सी0 पी0 सी0, मूलवाद सं0 1720/1988 श्री मदन मोहन लाल आदि बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि मे पारित आदेश दिनांकित 03.02.2023 को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 3 ग प्रस्तुत कर संक्षेप मे कथन किया है कि मूलवाद सं0 1720/1988 श्री मदन मोहन लाल आदि बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि में दिनांक 03.02.2023 वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र 36 ग 2 नियत थी। प्रार्थी सभी वादीगण की ओर से उक्त वाद मे पैरोकारी कर रहा था। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती नीलम गर्ग प्रार्थिनी सं0 02 पिछले तीन माह से बीमार चल रही थी तथा जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह मे प्रार्थी की पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई व दिनांक 09.02.2023 को प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु हो गयी। इसी कारणवश प्रार्थी नियत दिनांक 03.02.2023 को न्यायालय में अनुपस्थित नही हो सका तथा न्यायालय द्वारा उक्त मूलवाद पक्षकारो की अनुपस्थिति मे खारिज कर दिया गया। अतः प्रार्थी द्वारा मूलवाद सं0 1720/1988 श्री मदन मोहन लाल आदि बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि मे पारित आदेश दिनांक 03.02.2023 को निरस्त किया जाकर, पत्रावली को उसके मूल नम्बर पर कायम किये जाने की प्रार्थना की गई है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

मेरे द्वारा तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि मूलवाद सं0 1720/1988 श्री मदन मोहन लाल आदि बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि को दिनांक 03.02.2023 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति मे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

तथाकथित दिनांक 03.02.2023 को अनुपस्थिति का कारण प्रार्थी द्वारा यह बताया गया है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती नीलम काफी बीमार थी तथा बीमारी के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। जिस कारण नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही हो सका। तथा

Digitally signed by Prachi Agrawal
Date: 2023.04.04 15:53:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 03.02.2023 को निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा नियत दिनांक को अनुपस्थित होने का पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है। विधि का भी यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां तक संभव हो वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है।

अतः प्रार्थी द्वारा अनुपसंजाति का पर्याप्त हेतुक दर्शाया है, तथा वाद को गुण–दोष के आधार पर निर्णीत किये जाने हेतु, प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 3ग स्वीकार किया जाता है। मूलवाद सं0 1720/1988 श्री मदन मोहन लाल आदि बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि मे पारित आदेश दिनांकित 03.02.2023 को अपास्त किया जाता है। मूलवाद सं0 1720/1988 श्री मदन मोहन लाल आदि बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि को अपने मूल नंबर पर कायम किया जाता है। मूल नम्बर पर कायम होने के पश्चात पत्रावली दिनांक 01.05.2023 को पेश हो। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो।

सिविल जज (जू0 डि0) नगर,
मेरठ।
J.O. CODE– यू0 पी02436